प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 24.06.2024

चालक द्वारा 640 बोरी सीमेंट गबन करने आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 115 बोरी सीमेंट बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2024 धारा 407 भादवि से संबंधित अभियुक्त हिमांशु कुमार सिंह को 115 बोरी अल्ट्राटेक सीमेन्ट के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अपराध का संक्षिप्त विवरण-</u>

वादी मुकदमा के यहां चालक का कार्य करने वाला अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.06.2024 को 640 बोरी सीमेंट वाहन पर लोड कर परतावल लखीमा जनपद महाराजगंज ले जा रहा था । अभियुक्त द्वारा गंतव्य तक न ले जाकर रास्ते में गबन कर लिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

हिमांशु कुमार सिंह पुत्र महातम सिंह निवासी ग्राम सरना मठिया थाना दरौली जनपद सरन राज्य बिहार

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0- 288/2024 धारा 407, 411 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।

<u>बरामदगी-</u>

115 बोरी सीमेन्ट

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1. उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शिवम यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 सूरज सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 प्रदीप कुशवाहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर